International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-6, Issue-2, April - 2019
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयास

मधु बालोटिया
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग,
जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर

सारांशः

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उस राष्ट्र की महिलाओं का अप्रतिम योगदान होता है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में नारी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है तथा सभी युगों में किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मापदण्ड भी नारी की स्थिति ही रही है। नारी की स्थिति में होने वाले परिवर्तन प्रत्येक युग के समाज व्यवस्थापकों के लिए चिन्तन का विषय रहे है। प्राचीन काल के भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था परन्तु जैसे–जैसे समय बीतता गया महिलाओं की स्थिति में भीषण बदलाव आया। महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे मामले उजागर होना एक आम बात बनने लगी थी। बिगड़ती हुई सामाजिक स्थिति में समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम करने की ठानी जिससे बिगड़े हुए हालातों पर काबू पाया जा सका। वर्तमान में नारी अपने कार्यक्षेत्र के साथ–साथ अपने घर की जिम्मेदारियां भी बखुबी निभा रही है जहाँ एक ओर बड़ी संख्या में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में महिलाओं का बड़ा वर्ग उत्पीड़ित, शोषित एवं उपेक्षित जिंदगी जी रहा है।

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति में सुधार तो हो रहा है परन्तु निचले तबके की महिलाएँ आज भी इन सुधारों से वंचित है। निचले तबके की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिये महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु योजनाओं की घोषणाएँ होना एक बात हैं और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता होना दूसरी बात हैं। जिससे वास्तविक आधार पर महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उठा सके।

मुख्य शब्द–

- महिलाओं की स्थिति
- राजस्थान राज्य महिला आयोग
- राजस्थान में महिला सशक्तिकरण
- महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम

प्राचीनकाल में भारत में यह प्रचलित था कि – 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते; रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती हैं वहाँ देवता निवास करते है। लेकिन समय बदलने के साथ–साथ नारी की स्थिति समाज में खराब होती गई और विभिन्न कुप्रथाओं एवं कुरीतियों से पीड़ित होती गई। भारतीय समाज आरम्भ से ही पुरूष प्रधान रहा है तथा महिलाएँ अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए पुरूषों पर ही आश्रित थी। किसी भी सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक क्षेत्र में उनका घर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था केवल पुरूष ही घर के सारे निर्णय लेते थे। अतएव समाज का दृष्टिकोण एवं महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न नियम और अधिनियमों के माध्यम से महिला संरक्षण और उनके अधिकारों हेतु लगातार प्रयास किये गए और किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं की दशा में सुधार तो हुआ है लेकिन आज भी अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। आज भी दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए है जिससे वे स्वतन्त्र निर्णय ले सके और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके। आज भी पिछड़ी जातियों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और क्रूर व्यवहार की घटनाओं में कमी नहीं आई है आज भी दहेज के लिए महिलाओं को जला दिया जाता है बलात्कार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही है। अतः हम कह सकते है कि सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके संरक्षण के लिए और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।[1]

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति–

भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालने पर यह पता लगता है कि प्राचीन काल में नारी की स्थिति समाज में उच्च स्थान पर थी। हिन्दू मान्यता के अनुसार नारी को सम्माननीय और उच्च सथान प्राप्त था। हिन्दू धर्म में नारी को अर्द्धांगिनी अर्थात् पति के शरीर का आधा हिस्सा माना गया वर को शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर कुछ वचन लेने पड़ते हैं जिसमें नारी को सभी सामाजिक कार्यों में भागीदार बनाना प्रमुख है। सभी समुदायों में कोई भी सामाजिक रस्म पत्नी को

साथ रखे बिना पूरी नहीं होती है। भारतीय समाज में नारी को एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। प्राचीन समय में नारी पूरी तरह से पुरूष पर निर्भर थी परन्तु बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नारी आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर बढ़ रही है तथा उसकी पुरूष पर निर्भरता भी कम होती जा रही है। आज की नारी पुरूष–नारी के बीच बराबरी एवं न्याय के लिए संघर्षरत है। नारी की स्थिति को सुधारने एवं उन्हें दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, शोषण आदि से मुक्त करने के लिए समय–समय पर कई समाज सुधारकों ने प्रयास किये है। ब्रिटिश काल में भी महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। परन्तु 19वीं सदी के मध्य में कई समाज सुधार आन्दोलनों जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि के फलस्वरूप स्त्रियों की दशा में सुधार होना आरम्भ हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी महिलाओं की दशा में सुधार हेतु कई प्रयास किए।[2]

आज के आधुनिक युग में महिलाएँ पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही है। आज नारी घर की चारदीवारी से निकल कर सभी क्षेत्रों में न केवल कार्य कर रही है वरन् अपनी उपलब्धियों से देश का नाम भी ऊँचा कर रही है। आज नारी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद तक पहुँच चुकी है तो दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में भी महिलाएँ देश का नाम ऊच कर चुकी है। समाज सुधार एवं सामाजिक स्थिति में हुए परिवर्तनों से नारी की स्थिति में सुधार एवं सामाजिक स्थिति में हुए परिवर्तनों से नारी की स्थिति में सुधार तो हुआ है साथ ही बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा महिलाओं के संरक्षण के लिए वैधानिक एवं सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर दोनों स्तर पर विकास के प्रयास कर रही है। भारतीय संविधान में भी पुरूषों और महिलाओं को समान मानते हुए समान अधिकार की बात कहीं गई है।[3]

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण एवं आयोगः–

महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं का विकास राजस्थान सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के विकास के साथ–साथ उनके संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। महिला विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाने के साथ–साथ उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। साथ ही महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त सोच एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना है।[4]

राजस्थान राज्य महिला आयोगः–

राजस्थान में महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण के साथ–साथ उनके संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रेल 1999 को विधानसभा में राज्य महिला आयोग के स्थापना के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार 'राजस्थान राज्य महिला आयोग' का गठन किया गया।[5] राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं–

- महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जाँच करना, उस पर विनिश्चय करना और इस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।
- राज्य लोग सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी भेदभाव को रोकना।
- महिलाओं की दशा में सुधार करना, कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएं सरकार को सुझाना आदि।
- महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।
- आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोग सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता करती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार को सिफारिश करना।
- महिलाओं से सम्बन्धित (संबंधित) विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार को सिफारिश करना।
- आयोग की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

- आयोग की धारा 10 में विस्तृत रूप से आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
- इसी प्रकार अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग को महिलाओं के विरूद्ध होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करने का अधिकार है।
- धारा 13 के अनुसार अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति ने दण्डिक अपराध किया है सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आयोग अभियोजन आरम्भ कर सकता है।[6]

राजस्थान की महिला विकास की योजनाएं, महिलाओं को सशक्त करने का सरकार का उत्तम प्रयास है। राज्य महिला नीति की सरंचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य महिला–आयोग, महिला अधिकारिता विभाग से समन्व्य स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी–भारत सरकार को प्रेषित करता है।[7]

राजस्थान की महिला विकास योजनाएं निम्नलिखित है–

1. महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायताः–

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना के अंतर्गत अल्प आयवर्ग की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

योजना के उद्देश्यः–

- महिलाओं को छोटे व्यावसायिक दलों में संगठित करना तथा प्रशिक्षण एवं ऋण के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- महिलाओं में कौशल वृद्धि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार की परिस्थितियों में ओर अधिक सुधार करने के लिए समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराना।

कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणः–

यह योजना पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, संघों, सहकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों, गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से चलाई जाती है। इस

स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय, संगठन अथवा अभिकरण ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत होने चाहिए भले ही उनके मुख्यालय शहरी क्षेत्रों में स्थित हो।

लक्ष्य वर्गः–

इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने वाले लक्ष्य वर्ग सीमान्त, सम्पति विहीन ग्रामीण तथा शहरी निर्धन महिलाएं है। इस परियोजना के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों पर विशेष बल दिया जाता है।

2. कलेवा योजनाः–

बजट घोषणा 2010–11 के अन्तर्गत मातृ मृत्युदर एंव शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कलेवा योजना प्रारम्भ की गई है। योजना अन्तर्गत राज्य की समस्त 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने वाली प्रसूताओं को प्रथम दो दिवस तक गरम एवं पौष्टिक भोजन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पकाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ–साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। अब तक लाखों महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

3. सामूहिक विवाहों हेतु अनुदान योजना–

समाज में विवाहों पर अनावश्यक व्यय की बढ़ती प्रवृति पर नियन्त्रण के लिए सामूहिक विवाहों के आयोजन किये जा रहे है राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्रूक्रमों के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1996 में सामूहिक विवाह अनुदान नियम बनाए गए इन नियमों को प्रभावी बनाये जाने हेतु राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 दिनां 20.01.2010 से लागू किए गए है। नियमों के अन्तर्गत संस्था को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4. सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमः–

समाज में महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा को स्थापित करने तथा उन्हें प्रत्येक दृष्टि से सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण वर्ष 2009–10 में सात सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की–

1. सुरक्षित मातृत्व
2. शिशु मृत्यु दर में कमी लाना
3. जनसंख्या स्थिरीकरण

4. बाल विवाहों की रोकथाम
5. लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव
6. महिलाओं को सुरक्षा तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना
7. स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण

मुख्य सचिव क अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की मोनिटरिंग की जा रही है।

5. महिला विकास कार्यक्रमः–

महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से वर्ष 1984 में प्रयोगात्मक रूप में राज्य के 7 जिलों यथा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा में महिला विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में संचालित किये जा रहे है। इसका मुख्य ध्येय महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं और नीतियों का लाभ लेना है।[8]

निष्कर्षतः

निष्कर्ष यहीं निकलता है कि विश्व की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी है आज के कुछ दशकों तक नारी घर की चार दीवारी के भीतर बन्द रहती थी परन्तु आज का युग बदल गया है अब नारी अबला नहीं रही है और वह घर की चौखट से बाहर निकल कर कई उच्च पदों तक पहुंची है जो अपने साहस से बुलंद आवाज में संदेश दे रही है कि यदि नारी जाति अपनी शक्ति को पहचान कर 'ज्योति' से 'ज्वाला' बन जाए तो कोई समस्या उसके सामने टिक नहीं सकती। अतएव राजस्थान सरकार द्वारा भी समय–समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं पूर्व में चल रही है जैसे– इन्दिरा महिला शक्ति योजना, मुख्यमंत्री राज श्री योजना, कौशल सामर्थ्य योजा, शिक्षा सेतु योजना। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया जो कि महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों के विरूद्ध शिकायतों के तुरन्त निपटारे हेतु जिला स्तर पर जिला महिला सहायता समितियों का गठन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के लिए कई अधिनियम पारित किये लेकिन महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए समय के अनुसार इन अधिनियमों एवं कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है

अतः सरकार द्वारा बालिका शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर बालिकाओं को स्कूलों से 'ड्रॉप–आउट' को रोकना चाहिए। सरकार के अलावा स्वयं सेवी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अतः ऐसे संगठनों को वित्तिय रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है। महिलाओं को शिक्षित कर और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके ही उनको उनके मूल अधिकार एवं सक्षम बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. आप्टे प्रभा, ''भारतीय समाज में नारी'', क्लासिक पब्लिकेशन, जयपुर, 1996 पृ. 15
2. अल्तेकर ए.एस. ''हिन्दू सभ्यता में नारियों की स्थिति'', राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, 2020
3. महावर सुनील, ''भारत में महिला सशक्तिकराः विविध आयाम एवं चुनौतियां'', अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 231
4. भारतीय दण्ड संहिता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
5. लवानिया एम.एम. ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र'', रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर 2004।
6. प्रगति प्रतिवेदन, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 2018–18 पृ. 5
7. https://ppmmodiyaojana.in/rajasthan-work-from-home-yojana/
8. https://www.applicationformpdf.com/rajasthan-kanya-shadi-sahyog-yojana-form/